IS 15700:2005

संतुष्टिम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email ID - ap7@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 BUREAU OF INDIAN STANDARDS SQMS

पत्र सं0 : 1159 /वा0नि0-7/DLF-COMPLETION-PART-5 दिनांक : 04/06/2020

पूर्णता प्रमाण-पत्र

इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मै0 डी0एल0एफ0लि0 द्वारा लखनऊ-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्राम-पुरसैनी, तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में विकसित की जा रही परियोजना में स्वीकृत ले-आउट के अनुसार 520 नग दुर्बल आय वर्ग एवं 520 नग अल्प आय वर्ग के भवन प्रस्तावित थे, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता की आख्या (पत्रांक : 471/DLF/24 दिनांक 23.05.2020) एवं मानचित्रों की पुष्टि के आधार पर प्रकरण पूर्णता प्रमाण के अनुमोदन हेतु मुख्य वास्तुविद् नियोजक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे मुख्य वास्तुविद् नियोजक द्वारा दिनांक: 04/06/2020 को अनुमोदित किया गया।

उक्त अनुमोदन के क्रम में मै0 डी0एल0एफ0लि0 की ग्राम-पुरसैनी, तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ स्थित परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र, उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया/प्रोसेस के आलोक में निम्न शर्तों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्गत किया जाता है:-

1. स्वीकृत मानचित्र संख्या : 618/नि0प्रा0-31/2016 दिनांक 09.03.2017 में निहित शर्तों/प्राविधानों को संस्था द्वारा स्वयं अनुरक्षित किया जाएगा।
2. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त भविष्य में किसी भी भाग/क्षेत्र का सब-डिवीजन अनुमन्य नहीं किया जायेगा एवं ऐसा पाये जाने पर परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र UPFS/2019/LCK/LUCKNOW/751/CFO दिनांक 21.09.2019 की शर्तों का अनुपालन तद्नुसार भविष्य में सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन, अग्निशमन विभाग, विद्युत सुरक्षा, लिफ्ट/एलीवेटर, नगर निगम, ए0टी0एस0, लेबर सेस सहित खण्ड/सम्पत्ति कार्यालय द्वारा निर्गत समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. पूर्व में भूखण्ड के स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति नहीं होगी ऐसा किये जाने की दशा में परिषद नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
6. आवंटन की शर्तों का अनुपालन/क्रियान्वयन निर्माण एवं विकास व अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना होगा।
7. शासन द्वारा निर्गत इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति में निहित प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत समस्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन किया जाना होगा।

04/06

(अरविन्द देव)

वास्तुविद् नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0 : /उक्त/ दिनांक :

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप आवास आयुक्त, लखनऊ जोन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, मै0 डी0एल0एफ0लि0, 1/72, विपुल खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

वास्तुविद् नियोजक/विशेष कार्याधिकारी